हेतु आगे [illegible] में रख कर [illegible]
अवगत किया जाता है। पत्रावली दिनांक
26-11-18 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली बाबी/
प्रतिवादी उपस्थित अनु./पोटाशीन
अधि. [illegible] अधिवक्ता अधिवक्ता
कानून व्यवस्था में लगाया है।
पत्रावली पुनः दिनांक 25-1-19
को पेश हो।

26/11/18

25/1/19 पत्रावली पेश हुई। वादिनी प्रार्थी एवं प्रार्थी वादी
आज नहीं हैं। वाद कारण का आज तक
[illegible] कार्य, नहीं आज नहीं
हैं। पत्रावली [illegible] दायरी व अन्य
दैनिक में [illegible] की अवधि पत्रावली
[illegible] बोलने के लिए दायरी की
जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा